रजि० सं० डी० (डी० एन०)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 1985/माघ 30, 1906
No. 68] NEW DELHI, TUESDAY, FEB. 19, 1985/MAGHA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1985

सा. का. नि. 95(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1), तारीख, 17 नवम्बर, 1984 में प्रकाशित भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. सा. का. नि. 776(अ), तारीख 17 नवम्बर, 1984, का अधिक्रमण करते हुए निदेश देती है कि इसमें विनिर्दिष्ट विषयों का उपबंधन करने

के लिए आदेश करने की उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3 ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियां मिलमालिकों और व्यापारियों से लेवी चावल के क्रय के संबंध में, तमिलनाडु सरकार द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

[सं. 3, जनरल (3)/84 डी एण्ड आर-1]

जी. वी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 19th February, 1985

G.S.R. 95(E) :—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) No. G.S.R. 776(E) dated the 17th November, 1984, published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3 Sub-section (i), dated the 17th November, 1984, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (3B) of section 3 of the said Act to make orders to provide the matters specified therein, shall, in relation to purchase of levy rice from the millers and traders be exercisable also by the Government of Tamil Nadu.

[No. 3(GENL) (3)|84-D&R-I]

G. V. VISWANATH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985